संख्या:428/2016/5737जेएल/22-3-16-100(54)/2014

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 04 नवम्बर, 2016***

विषय: रिट याचिका संख्या-5222/2016-योगेश बनाम श्री देबाशीष पण्डा, प्रमुख सचिव(गृह) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ व 4 अन्य, जनपद-गौतमबुद्धनगर विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-38382/सामा-1(3)/बंदी रिट/2014, दिनांक 26-10-2016 एवं पत्र संख्या-38545/सामा-1(3)/बंदी रिट/2014, दिनांक 27-10-2016 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका संख्या-18153/2014-योगेश व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-12-2015 के अनुपालन में तथा उक्त आदेश के विरूद्ध दायर रिब्यू पिटीशन सं0-85618/2016 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम योगेश व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन शासनादेश संख्या-1/224जेएल/22-3-14-100(54)/2014, दिनांक 27-08-2014 द्वारा विचाराधीन बंदी मनोज उर्फ राहुल पुत्र श्री फिरे का जि0का0 गौतमबुद्धनगर से के0का0बरेली में स्थानान्तरण एवं बंदी योगेश उर्फ योगेन्द्र पुत्र श्री श्यौराज का जि0का0 गौतमबुद्धनगर से जि0का0 बांदा में किये गये स्थानान्तरण निरस्त करते हुए उक्त बंदियों को पुन: जि0का0 गौतमबुद्धनगर में वापस स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। शासनादेश दिनांक 27-08-2014 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

3- इसके अतिरिक्त जिला कारागार, बांदा में निरूद्ध बंदी योगेन्द्र उर्फ योगेश भाटी पुत्र श्री श्यौराज को जिला कारागार, देवरिया स्थानान्तरित करने सम्बन्धी शासनादेश संख्या-353/2016/4968जेएल/22-3-16-100(106)/2016, दिनांक 15-09-2016 को भी एतदद्वारा निरस्त जाता है।

4- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

--2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:428/2016/5737जेएल(1)/22-3-16-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर/बांदा/देवरिया/बरेली।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्धनगर/बांदा/देवरिया/बरेली।
3. श्री विमलेन्दु त्रिपाठी, अपर शासकीय अधिवक्ता-प्रथम, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
4. वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली/अधीक्षक, जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर/बांदा/देवरिया।
5. वरिष्ठ अधीक्षक/नोडल अधिकारी, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।